

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1292/भू अ०

दिनांक : 16/8/2024

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-पीपरबदिया, थाना-देवघर, थाना सं०-322, अंचल-देवीपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना पिछड़ीबाद (MDR-229 पर)-संग्रामलोढ़िया-देवसंग मोड़ (देवघर) (बैद्यनाथपुर-कोरियासा पथ पर) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (कुल लम्बाई-16.075 कि०मी०) (पुल निर्माण सहित) कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-पीपरबदिया, थाना-देवघर, थाना सं०-322, अंचल-देवीपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमीवेश 0.59 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है -

क. सं.	खात सं.	सर्व भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	91	रैयती	बाड़ी-2	0.06	कमरुद्दीन मियां वो चुटर मियां वो जब्बार मियां वो कारु मियां वो लश्करी मियां वो तबरेज मियां पे० हनीफ मियां वो सर्फद्दीन मियां पे० इस्लाम मियां सा०देह।	मौजा खरौ-धा नं०-305	मौजा कुन्डी कोला नं०-327	मौजा सिरसिया नं०-323 एवं सकरी गली नं०-324	अर्जित खेसरा का अंश
2	9 क	90	रैयती	बाड़ी-2	0.40	कामेश्वर प्रसाद सिंह वो आशुतोष सिंह वो नर्मदेश्वर सिंह पे० शिरोमणी सिंह वो आनंद सिंह पे० रावणेश्वर सिंह वो संतोष कुमार वो संदी कुमार पे० बैद्यनाथ सिंह वो नंदकुमार (ज०रै०)				
3	12	45	रैयती	बाड़ी-2	0.01	मोहन महारा वो बुलादी महारा वो पानु महारा पे० दोलत महारा (ज०रै०)				
4	14	49	रैयती	बाड़ी-2	0.02	रोहन महारा वो दुखो महारा पे० बुन महारा सा०देह० (ज०रै०)				
5	14	51	रैयती	म०स०	0.01	तथैव।				
6	18	53	रैयती	बाड़ी-2	0.05	शहीद महारा वल्द हरि प्रसाद महारा सा०देह। ज०रै०				
7	20	100	रैयती	बाड़ी-2	0.03	बैकुण्ठनाथ मिश्र वल्द नारायण मिश्र ज०रै०				
8		52			0.01	मुस्तवाहा।				
कुल रकवा-					0.59					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित

निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन क्री बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
30/7/21

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1292/ भू अ०, देवघर, दिनांक 16/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
देवघर
30/7/21

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।